



र में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रयतों) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

आवेदन की तिथि- 11/8/12
 अधिलेखना तिथि- 13/8/12
 निर्गत तिथि- 11/8/12

अनुपखत, सर्किल/अंचल, हल्का, इस्टेट का नाम

1	क्रम	पंजी संख्या 27 में नामान्तर केस संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अपयुक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?
2		J/14-13 JMT	पाटखपावा	मिनाट 04	रतना - 49 लोट - 301 शकाल - 04 अं. अगा - 2-0000 डा. शेप	अनाद अनाधिकारी - मिनाट	करीब संख्या - 3486 दिनांक - 01/06/12	प्राप्त संख्या - 49 पुराना रयत - गेहिली पाल वी. नया रयत - ल. प्री खुरज कुआर, मिना. प्री कुल बहादुर दास, ल. प्री गाने प्रियका देवी, प्री. प्री खुरज कुआर मिना. प्री अरिल सरव लाल सा - पाटली प्रु गेडिफल कालेज रतफ कालेज	
10								अभ्युक्ति	

ज्ञापक संख्या 0, कर्मचारी हल्का सं 0, ता 200, को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

सर्किल/अंचल, सर्किल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, तिलिपिक टंकक

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया, तिलिपिक टंकक

अभ्युक्ति, प्रधान सहायक, अखिल कर्णारीय, इलाहाबाद



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... 847 (I) / 2010-11
2012-13

आदेश फलक

आवेदन की तिथि- 11/8/12
अधिसूचना तिथि- 18/8/12
निर्गत तिथि- 14/8/12

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
2/8/12	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>श्री. सुरवीर शर्मा</u>, पति- <u>श्री. सुरवीर शर्मा</u> पिता/पति- <u>श्री. अशोक चरण दास</u> साकिम- <u>पुटली प्रह</u> मेडिकल धाना- <u>धनबाद</u> जिला- धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा- <u>416524101</u> मौजा नं०- <u>54</u> खाता नं०- <u>49</u> प्लॉट नं०- <u>301</u> रकबा- <u>0451</u> दलील सं०- <u>3486</u> दिनांक- <u>01/06/12</u> के द्वारा श्री/श्रीमती <u>श्री. सुरवीर शर्मा</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- <u>16/8/12</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जॉय देव प्रसाद 16/8/12</p>
16/8/12	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं०- <u>49</u> में विक्रेता को विक्रेता के <u>प्रतिवेदन</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निर्बाधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>दोष</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें।</p> <p>लेखापित्त एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>श्री. सुरवीर शर्मा 14/8/12</p>

मेरे द्वारा फोटोकाँपी किया गया!

प्रतिलिपिक टंकक

अंचल अधिकारी धनबाद।
सुरवीर शर्मा
14/8/12
गधान सहोदक
अंचल कार्यालय
धनबाद